

न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 42 / 2026 बउनवानी मनोज कुमार जैन बनाम प्र.अ. भूअभिलेख अनुभाग
निवासीनेहा विला महावीर मार्ग बौली जिला सवाईमाधोपुर

GCMS No-2026/ 73

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

तारीख हुकम
25.3.2026

पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 24.1.2026 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति०जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर " ग्राम रवासा पटवार हल्का बांस टोरडा तहसील बौली का नवीन राजस्व रिकार्ड सेटलमेंट विभाग टोंक द्वारा जिला कार्यालय, एवं जिला कार्यालय द्वारा तहसील बौली को भिजवाने एवं नवीन राजस्व रिकार्ड लागू करने इत्यादि को लेकर की गयी कार्यवाही के संबंध में कुल 5 बिन्दुओ की प्रमाणित सूचना" अति०जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु चाही गयी सूचना का संबंध प्रभारी अधिकारी भू०अभिलेख अनुभाग से होने के कारण प्रार्थी का आवेदन पत्र भू०अभिलेख अनुभाग को भिजवाया गया। किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी भू०अभिलेख अनुभाग को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी भू०अभिलेख अनुभाग की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक प.14 / 7 / सूकाअ / भू.अ. / 2026 / 1785 दिनांक 24.2026 का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 24.01.2026 मे चाही गयी सूचना तहसीलदार बौली के पत्रांक 729 दिनांक 23.3.2026 एवं प्रभारी अधिकारी भू०अभिलेख अनुभाग के पत्रांक 1722 दिनांक 23.3.3026 द्वारा अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है।

अपीलान्ट द्वारा दिनांक 4.3.2026 को प्रार्थना पत्र प्राप्ति दिनांक 11.3.2026 द्वारा अवगत कराया कि चाही गयी सूचना अपीलान्ट को अभी तक उपलब्ध नही करवायी गयी है। अतः संबंधित लोक सूचना अधिकारी को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु निर्देशित किया जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 24.01.2026 मे चाही गयी सूचना तहसीलदार बौली के पत्रांक 729 दिनांक 23.3.2026 एवं प्रभारी अधिकारी भू०अभिलेख अनुभाग के पत्रांक 1722 दिनांक 23.3.3026 द्वारा अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर